न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

माधो राय .... प्रथम पक्ष

बनाम्

दर्श्नी महतो .... द्वितीय पक्ष

वाद संख्या 20/2021 धारा 145 द०प्र०सं०

अनुसूची-14 फारम 10 562

आदेश-पत्रक

(दिखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं० क. ता० .... से .... तक

जिला .... सं० .... सन् 20..........

केस का प्रकार ....

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5/7/2021 C.C. Issued 07/09/2021	आवेदक/आवेदिका माधो राय पिता/पति स्व० पुना राय ग्राम पुरनीडीह थाना सरिया जिला गिरिडीह द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 145 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा रतनाडीह खाता 2,10,21 प्लॉट 10,12,11 रकवा 50 डी०,10 डी०,58 डी० चौहद्दी : उ०-पुना राय, रोड,गोपाल महतो द०-मौज,पुनाराय पू०-मौज प०-रास्ता, पुनाराय में भू-विवाद के कारण आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी सरिया/थाना प्रभारी सरिया से माँगें। अभिलेख दिनांक 20/7/2021 को उपस्थापित करें। ह०/- 5/7/21 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।	198 5/7/2021

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3
26/7/21	प्रथम पक्ष द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 145 के अंतर्गत द्वितीय पक्ष (देवकी महतो एवं अन्य) के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी सरिया से प्रतिवेदन/मंतव्य की मांग की गई थी। थाना प्रभारी सरिया के ज्ञापांक 2003/21 दिनांक 21/7/2021 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि के दखल-कब्जा को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 145 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों से दिनांक 10/08/21 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है। क्यों नहीं विरोधी के पक्ष में दखल-कब्जा सम्पुष्ट कर दिया जाये। विवादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा- रतनाडीह खाता नं0- 210, 21 प्लॉट नं0- 10, 12, 11 रकबा- 50 डी0, 10 डी0, 58 डी0 कुल रकबा- 1.18 एकड़ चौहद्दी उत्तर- पुना राय, रोड गोपाल महतो, दक्षिण- मौजा, पुना राय, पूरब- मौजा, पश्चिम- रास्ता, पुना राय। (हस्ताक्षर) 26/7/21 अनु0 दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।	

...गादर-सरिया (गिरिडीह)

30/5/23 प्रथम पक्ष अनुपस्थित (?) द्वितीय पक्ष उप०।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

द्वितीय पक्ष के विद्व अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रथम पक्ष के माधो राय की मृत्यु हो गई है तथा वे लावल्द हैं। इस परिस्थिति में किसी को प्रतिस्थानी बनाना भी संभव नहीं है। अतः वाद की कार्यवाई समाप्त की जाये।

द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि प्रथम पक्ष का कानूनी वारिस तय नहीं हुआ है।

प्रथम पक्ष के द्वारा CPC Order XXII rule 4A के तहत आवेदन भी दाखिल नहीं किया है।

उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

ह० अनु०पदा०

SDM.

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.07.07 18:09:08 +05:30
Location: 192.168.1.7